

संचिका सं.-03/न्या.-14-21/2018

/न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0,
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत।

पटना, दिनांक :-

विषय :- नगर निकायों में Shredding Machine क्रय करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 2016 के क्रियान्वयन में प्रत्येक नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण केन्द्र पर Shredding Machine की आवश्यकता को देखते हुए इसका Technical Specification इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। इस Technical Specification के समरूप Shredding Machine GeM Portal पर उपलब्ध नहीं रहने के कारण इसका क्रय कोटेशन के माध्यम से नियमानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसका अधिकतम मूल्य 1,00,000/- (एक लाख रुपए मात्र) (सभी कर एवं परिवहन खर्च सहित) होगा। यदि Shredding Machine के अधिष्ठापन के लिए अलग से Foundation बनाने की आवश्यकता होती है या Electrification का कार्य करवाना आवश्यक हो तो इसे नगर निकायों द्वारा अलग से करवाया जा सकता है।

अतः सभी नगर निकायों को निदेश दिया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न Technical Specification के मुताबिक नियमानुसार कोटेशन के माध्यम से विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य की अधिसीमा के अन्दर न्यूनतम क्रय दर पर Shredding Machine का क्रय 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित करते हुए ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण का कार्य प्रारंभ करें।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/न्या.-14-21/2018

2336

पटना, दिनांक :- 21/8/19

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी SBM/Team Leader SBM-PMU/Team Leader SPMG को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

21/8/2019
प्रधान सचिव।